



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236214
CG-DL-E-01062022-236214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]
No. 389]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISHTHA 11, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

सा.का.नि. 410(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में,-
 - नियम 8 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि नियुक्ति चाहने वाला व्यक्ति यदि किसी ऐसे देश जिसकी भू-सीमा भारत से लगती हो, का नागरिक है तो स्वीकृति के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक सुरक्षा अनापत्ति भी संलग्न की जाएगी।”;
 - नियम 10 के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह तब जबकि निदेशक पहचान संख्या के लिए आवेदन कर रहा व्यक्ति यदि किसी ऐसे देश, जिसकी भू-सीमा भारत के साथ लगती हो, का नागरिक है, तो निदेशक पहचान संख्या के लिए आवेदन के साथ जब तक गृह मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक सुरक्षा अनापत्ति संलग्न नहीं की जाएगी तब तक कोई आवेदन संख्या सृजित नहीं की जाएगी।”।

(iii) उपाबंध में,-

(क) प्ररूप सं. डीआईआर-2 में, घोषणा शीर्षक के अधीन, मौजूदा पैरा को उसके पैरा (i) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित पैरा (i) के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii) मैं यह और घोषणा करता हूँ कि –

मुझे निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; या

मुझे निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त कर लिया गया है तथा संलग्न है। ”;

(ख) प्ररूप सं. डीआईआर-3 में, सत्यापन शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 3 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“3क. मुझे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या के लिए आवेदन करने से पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; या

मुझे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या के लिए आवेदन करने से पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह प्राप्त कर लिया गया है तथा संलग्न है। ; और”।

[फा. सं. 1/22/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2022

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, —

(i) in rule 8, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case the person seeking appointment is a national of a country which shares land border with India, necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India shall also be attached alongwith the consent.”;

(ii) in rule 10, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that no application number shall be generated in case of the person applying for Director Identification Number is a national of a country which shares land border with India, unless necessary security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India has been attached alongwith application for Director Identification Number.”.

(iii) in the Annexure, -

(A) in Form DIR-2, under the heading Declaration, the existing paragraph, shall be numbered as paragraph (i) thereof and after the paragraph (i) as so numbered, the following shall be inserted, namely:-

“(ii) I further declare that -

I am not required to obtain the security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India before seeking appointment as director; or

I am required to obtain the security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India before seeking appointment as director and the same has been obtained and is attached. ”;

(B) in FORM NO. DIR-3, under the heading Verification, after serial number 3, the following serial number shall be inserted, namely:-

“3A. I am not required to obtain the security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India under sub-rule (1) of rule 10 before applying for director identification number; or

I am required to obtain the security clearance from the Ministry of Home Affairs, Government of India under sub-rule (1) of rule 10 before applying for director identification number and the same has been obtained and is attached. ; and ”.

[F. No. 1/22/2013-CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended, *vide* notification number G.S.R. 579(E), dated the 19th August, 2021.